कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 311/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 11.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक–11.08.2026
थाना–गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

⁕ ➡️ अंतर्जनपदीय गोतस्करी गैंग का खुलासा, गोकशी की तैयारी कर रहे बदमाश थाना गम्भीरपुर पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल/ गिरफ्तार*

⁕ ➡️ गैंगस्टर, गोवध, सामूहिक दुष्कर्म, धोखाधड़ी व आर्म्स एक्ट सहित कई अभियोगों में संलिप्त अंतर्जनपदीय बदमाश विशाल यादव घायल/ गिरफ्तार; कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चापड़ व क्रूरतापूर्वक बंधा प्रतिबंधित पशु बरामद*

⁕ ➡️ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आजमगढ़, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों में गैंगस्टर एक्ट, गोवध, आर्म्स एक्ट सहित करीब 01 दर्जन आपराधिक अभियोग पंजीकृत *

घटना/मुठभेड़ का विवरण–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों, इनामिया अपराधियों एवं गोतस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.08.2026 की रात्रि में थाना गम्भीरपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि टेनीपुर अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर के पास दो बदमाश एक प्रतिबंधित पशु को क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर गोकशी करने की फिराक में हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष गम्भीरपुर अमित कुमार त्रिपाठी मय पुलिस टीम द्वारा टेनीपुर अमौड़ा मोहिउद्दीनपुर पर घेराबंदी की गई।

बदमाशों ने स्वयं को पुलिस टीम से घिरता देखकर पुलिस टीम पर लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा पर्याप्त चेतावनी के पश्चात जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई जिसमें बदमाश *विशाल यादव पुत्र अनिल यादव, निवासी ग्राम किशुनपुर काशीनाथ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष* के दाहिने पैर में गोली लगी।

घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान उसका एक अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

मौके से 01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 चापड़ एवं 01 प्रतिबंधित पशु (जिसे क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधा हुआ) बरामद हुआ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंभीरपुर पर मु0अ0सं0- 200/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0– 200/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त–
विशाल यादव पुत्र अनिल यादव, निवासी ग्राम किशुनपुर काशीनाथ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र–करीब 25 वर्ष।

बरामदगी–
01 देशी तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 चापड़ एवं 01 प्रतिबंधित पशु (जिसे क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधा हुआ) ।

आपराधिक इतिहास– *विशाल यादव पुत्र अनिल यादव,* निवासी ग्राम किशुनपुर काशीनाथ, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।*

1. मु0अ0सं0- 200/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 136/2021 धारा 323/504/506 भादवि, धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 96/2024 धारा 427/445/504/506 भादवि, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0- 452/2024 धारा 115(2), 3(5), 351(2), 352 बीएनएस, धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0- 12/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस, 3/25 आर्म्स एक्ट, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम, थाना शाहगंज, जनपद जौनपुर।
6. मु0अ0सं0- 429/2024 धारा 127(2)/70(1) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0- 191/2025 धारा 3(1)/2(b)(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0- 417/2022 धारा 406/420/506 भादवि, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
9. मु0अ0सं0- 108/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 429 भादवि, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर।
10. मु0अ0सं0- 181/2020 धारा 5 गोवध निवारण अधिनियम, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर।
11. मु0अ0सं0- 203/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर।

मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम–
थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी, व0उ0नि0 अरविन्द यादव, उ0नि0 योगेश सरोज, उ0नि0 विपिन द्विवेदी, रि0कां0 निखिल गिरी, रि0म0कां0 सुधा कुमारी, कां0 अंकुश कुशवाहा, कां0 विश्वामित्र, कां0 मिथिलेश, कां0 पंकज सिंह, कां0 सूरज खरवार, कां0 अजीत पटेल एवं कां0 शिवराम सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।